

## विश्वभारती

### अधिसूचना

विषय : छात्रवृत्ति संबंधी विषय हेतु प्रतिनिधिमंडल/नामांकन

सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि, उपाचार्य महोदय के निर्देशानुसार एवं विश्वभारती अधिनियम 1951, संविधि 50 के धारा 16 (2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, के साथ विश्वभारती के अन्य सांविधिक प्रावधान के तहत, अधोहस्ताक्षरी ने डॉ. ज्योति रतन घोष, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, विद्या भवन को ओएसिस पोर्टल/छात्रवृत्ति के उद्देश्य हेतु प्रतिनिधि/नामांकन के रूप में नोडल अधिकारी तथा सुश्री फराह नाज, सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र एवं तुलनात्मक धर्म विभाग, विद्या भवन को "ऐक्यश्री" के उद्देश्य हेतु "राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल" के साथ-साथ अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रवृत्ति के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

वे संग्रह/मिलान/रिकॉर्ड प्रमाणित, हस्ताक्षरित दस्तावेज को सरकारी कार्यालय में जमा करेंगे, संबंधित वेब पोर्टल का संचालन करने के लिए अधिकृत होंगे एवं पोर्टल में दस्तावेज/रिकॉर्ड/सूचना को अपलोड करेंगे। इस विषय में पूर्व आदेशों/अधिसूचनाओं का अधिक्रमण में यह जारी किया जाता है।

संदर्भ सं. एसीए/नामांकन/1138/2022-23  
दिनांक: 16.09.2022

हस्ता/-  
कुलसचिव (कार्यकारी)  
विश्वभारती

सेवा में,

1. डॉ. ज्योति रतन घोष, सहायक प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, विद्या भवन : jrghosh@visva-bharati.ac.in : मो. : 8777599940
2. सुश्री फराह नाज, सहायक प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र एवं तुलनात्मक धर्म विभाग, विद्या भवन. ई-मेल : farha.naaz@visva-bharati.ac.in , मो. : 8016024909

**सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:-**

1. सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. सभी अकादमिक विभाग/केंद्र/अनुभाग/ईकाइ के प्रधान/प्रभारी
3. संयुक्त कुलसचिव एवं कुलपति के गोपनीय सचिव
4. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक एवं अनुसंधान)
5. संयुक्त कुलसचिव (लेखा)
6. संयुक्त कुलसचिव (परीक्षा)
7. सहायक कुलसचिव (बैठक) कर्मी सभा के सहमति हेतु प्रस्तुत करें।
8. कुलसचिव के निजी सहायक
9. प्रभारी, कंप्यूटर सेंटर : कृपया विश्वविद्यालय वेब साइट पर अपलोड करें।

10. हिंदी अधिकारी - हिंदी में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
11. पी.ओ-सह-डी.डब्ल्यू.ओ., बीरभूम, सिउड़ी
12. प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिउड़ी